

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.
तारीख निर्णय
23.05.2024

मिसल नम्बर
10 / 2024 / प्रा.पत्र / 2024

तारीख दायरा
18.03.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री मुकेश चौधरी पुत्र श्री श्योजीलाल जाट निवासी ग्राम बालापुра पोस्ट व तह. नगरफोर्ट
जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स बालाजी सुपर मार्ट कोठी नातमाम के पास सिविल लाईन रोड
टोंक जिला टोंक। पिनकोड—304001 मोबाईल नं. 9982411228
2—मैसर्स बालाजी सुपर मार्ट कोठी नातमाम के पास सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक।
पिनकोड—304001

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा
26(2) की उप धारा (ii), (v) एवं दण्डनीय धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—पैरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी श्री मुकेश चौधरी स्वयं उप।

:-निर्णय:-

दिनांक 23.05.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 26.08.2023 को समय 12:00 पीएम पर मैसर्स बालाजी सुपर मार्ट कोठी नातमाम के
पास सिविल लाईन रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री मुकेश चौधरी पुत्र श्री
श्योजीलाल जाट अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना
परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री मुकेश चौधरी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का
एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा
प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि
दुकान में आम जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दुकान की रैक में लगभग
40 मूल पैक पैकड अवस्था में प्रत्येक नग 500—500 एम.एल. पैक घी (सरस ब्राण्ड) खा हुआ
था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर
मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री मुकेश चौधरी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों
में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री मुकेश चौधरी व
गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक



2001

.....
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह घी (सरस ब्राण्ड) जिसके बैच नम्बर सी-40 एवं पैकिंग की दिनांक अनुपस्थित थी, वास्ते नमूना जांच क्य किया जा रहा है, 500-500 एम.एल. के कुल 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (सरस ब्राण्ड) 500-500 एम. एल. के कुल 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों अलग-अलग खाकी कागज से लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3761 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3761 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा विक्रेता श्री मुकेश चौधरी को पत्र प्रेषित कर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया परन्तु विक्रेता ने कोई बिल पेश नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2023/946 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./3543/एक्ट/2023/3581 दिनांक 08.09.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्य किया गया घी (सरस ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) व रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के अनुसार कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री मुकेश चौधरी स्वयं उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है तथा निर्माता फर्म से लेकर उसी अवस्था में विक्रय किया है परन्तु वारन्टी बिल नहीं लिया। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियां



अंकित है तथा यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी (सरस ब्राण्ड) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी (सरस ब्राण्ड) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) व कॉन्ट्रावेन (Contravene) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.05.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 23.05.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सरस चौधरी)
प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0